Continuation Note Sheet

10/24 प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। पैराकार राज उपस्थित। वकील श्री संजय जनवेजा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. एवम् फार्म नं. 3 के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पेश किया गया। वकील प्रतिादीगण द्वारा प्रकरण में आज ही बहस सुन कर निर्णय किये जाने का निवेदन किा गया। पैरोकार राज द्वारा बहस सुने जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य बहस यह रही कि प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि रकबा को आवासीय संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में आवेदन किया हुआ है, लेकिन रकबा पर धारा 177 एवं धारा 212 आरटीए कार्यवाही लम्बित होने के कारण आवासीय संपरिवर्तन नहीं हो पाया है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रकबा में किसी प्रकार से अकृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रकबा का उपयोग अकृषि में नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रतिवादीगण का रकबा मौका पर खाली पड़ा है, जिसे आवासीय संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में आवेदन किया हुआ है। यदि धारा 177 आर टी ए का वाद एवं धारा 212 आर टी ए का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण 6 माह के अन्दर अन्दर उक्त रकबा का आवासीय संपरिवर्तन करवा लेगें। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निरस्त करने की कृपा करें। स्टेट जरिए तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के रूपान्तरण हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु जब तक भूमि का रूपान्तरण नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी कृषि भूमि पर गैरकृषि कार्य नहीं कर सकते। अप्रार्थी द्वारा लम्बे समय से भूमि रूपान्तरण नहीं करवाया है। प्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब प्रार्थीगण एवं कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण आवेदन की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सक्षम प्रधिकारी द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। भूमि [illegible] प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया [illegible] कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र [illegible] इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी तीन माह के [illegible] प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति [illegible]सीलदार को प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Continuation Note Sheet

करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवा कर आगमी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 10.01.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner